

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 15th March, 1999

No. CCP(NCR)/H.C.A.-4/99/523.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following draft development plan for the controlled areas declared around Middle School Mayyar, district Hisar,—vide Haryana Government, Town and country Planning Department notification No. 1344-10DP-86/18258, dated the 18th December, 1986, published in the Haryana Government Gazette dated the 30th December, 1986 signifying the nature of restrictions and conditions as given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled area covered by the said notification.

Notice is hereby given that the draft development plan shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Director, Town & Country Planning, Haryana, Sector-18, Chandigarh, from any person in writing in respect of such plan before the expiry of the period so specified.

Drawings :

- (i) Existing land use Plan Drawing No. DTP(H) 1809/87, dated 2nd March, 1987.
- (ii) Draft Development Plan Drawing No. DTP(H)3157/98, dated 21st January, 1998.

ANNEXURE A

EXPLANATORY NOTE ON THE DRAFT DEVELOPMENT PLAN FOR THE CONTROLLED AREA, MAYYAR

Introduction :

Village Mayyar is located about 15 kilometres away from Hisar right on the D.H.S. Road leading from Hisar to Delhi. It is a small village of nearly 4000 population developed on both sides of the National Highway No. 10. The village has almost all the facilities and amenities ought to be required for such size of settlement.

Need to Declare Controlled Area :

The village is located almost in between the controlled area Hisar and controlled area, Hansi

The National Highway No. 10 remained uncontrolled for the last many years in and around the village. As a result of this gap in between this controlled area, unauthorised constructions have started coming up in the form of industrial development. Keeping in view the growing unplanned growth along the D.H.S. Road, controlled area has been declared around the Middle School, Mayyar and published in the Haryana Government Gazette dated the 30th December, 1986,—vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification no. 1344-1C-DP-86/18258 dated the 18th December, 1986. The main aim to declare the controlled area around Mayyar was to check and regulate the unauthorised and haphazard growth of urbanisation along D.H.S. Road,

Development Proposals :

The reason for the declaration of controlled area around the Middle School, Mayyar was different from that of the controlled area declared around other urban settlements. Keeping in view the vulnerability of the portion of D.H.S. Road through this village whole of the controlled area has been earmarked as agricultural zone excluding the 30 metres green belt left on both sides of the highway.

The following tables shows the details of areas earmarked under various land uses.

TABLE

Sr. No.	Code	Land use Category	Total area in Hectares
1	400	Transport and communication	.. 16.56
2	700	Open spaces	.. 14.63
Total			31.19

These governing uses are shown on the Draft Development Plan of controlled area, Mayyar Drawing No. DTP(H)-3157/98, dated 21st January, 1998 and to be read alongwith the zoning regulation at Annexure -B.

ANNEXURE B

Zoning Regulations :

Governing use and development of land in the controlled area around Mayyar as shown in Drawing No. DTP(H)-3157/98, dated 21st January, 1998.

(I) General

(i) These zoning regulations forming part of the development plan for the controlled area around Mayyar shall be called zoning regulations of the development plan for the Mayyar controlled areas.

(ii) The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the development plan and shall be in addition to the requirements of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed thereunder :—

II. Definitions :

In these regulations :—

- (a) 'Approved' means approved under the rules ;
- (b) 'Building Rules' means rules contained in Part-VII of the rules ;
- (c) 'Drawing' means Drawing No. DTP(H)-3157/98, dated 21st January, 1998 ;
- (d) 'Floor Area ratio' (F.A.R.) means the ratio expressed in percentage between the total floor area of a building on all floors and the total area of site ;
- (e) 'Group Housing' shall be buildings designated in the form of flatted development for residential purposes or any ancillary or appurtenant buildings including community facilities, public amenities and public utility as may be prescribed and approved by the Director, Town and Country Planning, Haryana ;
- (f) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke gas, fumes or odours, dust effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power.
- (g) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area for example bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, atta chakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing, repair and service of automobiles, scooter and cycle, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots, etc. provided no solid fuel is used by them ;
- (h) 'Medium Industry' means all industries other than light industry and local service industry and not omitting obnoxious or injurious fumes and odours.
- (i) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power or fuel provided they do not have any obnoxious features.
- (j) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government. (The cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government) ;
- (k) 'Obnoxious or Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazard to the health and safety of the community ;
- (l) 'Material Date' means the date of publication of notification of various controlled area mentioned below ;—

28b

'Material date' means the 30th December, 1986 in respect of the land within the controlled area notified under section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963),—*vide* Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. 1344-10DP-86/18258 dated the 18th December, 1986, appearing in Haryana Government Gazette, dated the 30th December, 1986.

- (m) 'Non-Conforming Use' in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Revised Draft Development Plan;
- (n) 'Public Utility Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal service including a fire station;
- (o) 'Rules' means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965;
- (p) 'Sector density and colony density' shall mean the number of persons per hectare;
- (q) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall mean the area of the sector or of colony as bounded within the major road system shown on drawing;

Explanation:

- (1) In the case of sector and on the approved layout plan of the colony in the case of colony including 50 per cent land under the major roads surrounding the sector and excluding land under the major road system and the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.
- (2) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 55 per cent of the sector area or the colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons per building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum-residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;
- (r) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;
- (s) The term 'Act', 'Colony', 'Coloniser', 'Development Plan', 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules, 1965;
- (t) 'Farm House' shall mean a house constructed by the owner of a Farm at his land for the purpose of—
 - (i) Dwelling unit, i.e. main use, and
 - (ii) Farm Shed i.e. ancillary use.

- Notes:—**
- (1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause regarding 'provision of farm houses outside abadi deh in rural/agricultural zone'.
 - (2) The farm sheds shall be governed by the restrictions mentioned in clause regarding building control and site specifications.
 - (u) Ledge Or Tand means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metre.
 - (v) Loft means an intermediary floor on a residual space in a pitched roof, above normal floor level with a maximum height of 1.5 metre and which is constructed or adopted for storage purposes.

- (w) Mezzanine Floor means an intermediate floor above ground level with area of mezzanine restricted to 1/3 of the area of that floor and with a minimum height of 2.2 metres.
- (x) Subservient to Agriculture shall mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of 'agriculture' such as tubewells, pump chambers, windmills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;
- (y) 'Rural Industries' means industrial units which are registered under Rural Industries Scheme by the Industries Department;
- (z) 'Small Scale Industries' means industrial unit which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department;
- (za) 'Agro based industries' means an industrial unit which uses foodgrains, fruits or agro waste as a raw material; and
- (zb) any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).

III. Major Land Uses/Zones:

- (1) (i) Transport and Communication Zone;
- (ii) Public Open spaces; and
- (iii) Agricultural Zone.
- (2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV. Detailed Land uses within Major Uses:

Main ancillary and allied uses, which are subject to other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land use zone as are listed in Appendix B sub-joined to these regulations.

V. Industrial Non-Conforming Uses :

With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zones in the development plan such industrial non-conforming uses may be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director but not exceeding ten years, provided that the owner of the industry concerned :—

- (a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf ; and
- (b) during the interim period makes satisfactory arrangement for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director ;
- (c) is not allowed any further expansion within the area of non-conforming use.

VI. Discontinuance of Non-Conforming Uses :

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 per cent or more of its reproduction value by fire, floods, explosions, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be redeveloped only for a conforming use.

(3) After a lapse of period fixed under clause V the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

VII. BUILDING LINE IN FRONT SIDE AND REAR OF BUILDING :

These shall be provided in accordance with rules 51, 52 and 53 of the Rules.

VIII. ARCHITECTURAL CONTROL :

Every building shall conform to architectural control prepared under rule 50 of the Rules if applicable.

IX. RELAXATION OF LAND USE WITHIN AGRICULTURE ZONE :

In the case of any land lying in Rural Zone, Government may relax the provisions of this development plan :—

- (a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the coloniser has purchased the land for the said use and development prior to the material date and the coloniser secures permission for this purpose as per rules.
- (b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony) provided that :
 - (i) the land was purchased prior to the material date ;
 - (ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in proper zone ;
 - (iii) the owner of the land secures permission for building as required under the rules ; and
 - (iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent .

EXPLANATION :

The word 'purchase' in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights and no lease title such as agreements to purchase etc.

X. PROVISION OF FARM HOUSES OUTSIDE ABADI-DEH IN RURAL/AGRICULTURAL ZONE.

A farm house in rural zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acre or more than the following conditions :—

Size of Farm	Maximum coverage on ground for dwelling unit (main building)	Maximum coverage on ground for farm shed (ancillary building)
(i) Site coverage 2 Acre	100 square metres	1 per cent of the farm land (not more than 40 % shall be used for labour/servant quarters)

For every additional 0.25 acre, 10 square metres in main building subject to maximum of 200 square metres.

MAXIMUM HEIGHT

Main dwelling unit	Ancillary building
(ii) Height and storey 6 metres single storied	4 metres single storied

(iii) Set back.—It shall be atleast 15 metres away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abut a road, the house shall be constructed with a minimum setback from the edge of the road as under :

- (a) Where the road is bye-pass to a scheduled road .. 100 metres
- (b) Where the road is a scheduled road .. 30 metres
- (c) Any other road .. 15 metres

(iv) Approach Road—

- (a) The approach road to the Farm shall have a minimum right of way of 13.5 metres (45 feet)
- (b) when the approach road serves more than one Farm then the minimum right of way should be 18.30 metres (60 feet).

(v) Basement Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage but in the basement water closet and bath room shall not be permitted.

(vi) Ledge, Loft and Mazzanine Floor-Ledge, Loft and Mazzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in Part II.

(vii) Services-Water supply and Drainage :—

- (a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.
- (b) Open sanitary drains or covered drain to be provided for carrying rain water in case of all buildings.
- (c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of the Rules.
- (d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any scheme sponsored by the State Government/State Agency for the proper utilisation of the rural zone

XI. RELAXATION OF DEVELOPMENT PLAN :

Government may in case of hardship or with a view to some any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX-A

Classification of Land Uses

Main Code	Sub Code	Main Group	Sub Group
400		Transport and Communication	
	410		Railway Yards, Railway Stations and Sidings
	420		Roads, Road Transport Depots and Parking areas
	430		Dock Yards, Jettys

Main Code	Sub Code	Main Group	Sub Group
	440		Airport/Air Stations
	450		Telegraph Offices, Telephone Exchanges etc.
	460		Broadcasting Station
	470		Television Station
700		Open Spaces	
	710		Sports Grounds, Stadium, Play Grounds
	720		Parks
	730		Other Recreational Uses.
	740		Cemetries, Cremetories etc.
	750		Fuel Filling Station and Bus Queue Shelters
800		Agricultural land	
	810		Market Garden
	820		Orchards and Nurseries
	830		Land under Staple Crops
	840		Grazing and land pastures
	850		Forest Land
	860		Marshy land
	870		Barren land
	880		Land under water
900		Non Conforming Use	

APPENDIX—B

I. Transport and Communication Zone:

- (i) Railway yards, railway station and sidings
 - (ii) Transport Nagar, Roads and transport depots and parking areas
 - (iii) Airports and Air Station
 - (iv) Telegraph Offices and telephone exchange
 - (v) Broadcasting stations
 - (vi) Television station
 - (vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places.
 - (viii) Petrol filling stations and service garages
 - (ix) Parking spaces, bus stops/shelter, taxi, tonga and rickshaw stand.
- At sites earmarked in sector Plan.

II. Open Spaces:

- (i) Sports ground, stadium and play grounds
- (ii) Parks and green belts
- (iii) Cemeteries, crematories etc.
- (iv) Motor fuel filling station, bus queue shelter along roads with the permission of Director
- (v) Any other recreational with the permission of Director

At sites approved by Director, Town and Country Planning Department.

III. Uses Strictly Prohibited:

Storage of petroleum and other inflammable material without proper licence.

IV. Agriculture Zone:

- (i) Agricultural, Horticultural, Dairy and Poultry Farming
- (ii) Village houses within abadi-deh
- (iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as land down in zoning regulation X
- (iv) Afforestation development of any of its part for recreation
- (v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government
- (vi) Milk chilling station and pasteurisation plant
- (vii) Airports with necessary buildings.
- (viii) Bus stand and railway station
- (ix) Wireless stations
- (x) Grain godowns, storage spaces at sites approved by the Director
- (xi) Weather station
- (xii) Land drainage and irrigation, hydro electric works and tube-well for irrigation.
- (xiii) Telephone and electric transmission lines and poles.
- (xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site.
- (xv) Cremation and burial grounds
- (xvi) Petrol filling station and service garages
- (xvii) Hydro electric/thermal power plant/sub-station.
- (xviii) L.P.G. Gas Storage godowns with the approval of Director
- (xix) (A) Non polluting industries registered as RIs/SSI units subject to one of the following conditions —

As Approved by
Director,
Town and
Country
Planning

- 1 Located within half kilometre belt encircling the existing village abadi and approachable from a public road/rasta other than Scheduled road, National Highway and State Highway
- 2 On public road/rasta not less than 30 feet wide (other than scheduled roads, National Highway and State Highway) outside the half kilometre zone referred to in (1) above, upto a depth of 100 metres along the approach road
- (B) Non-Polluting medium and large scale agro based industries on public roads/revenue rasta not less than 30 feet wide other than scheduled Roads, National Highway and State Highway
- (C) The site should not fall within 900 metres restricted belt around Defence Installation
- (XX) Any other use which Government may in public interest decide.

AJIT M. SHARAN,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning, Department.

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा

अधिसूचना

दिनांक 15 मार्च, 1999

संख्या सी० सी० पी० (ए१० सी० आ००) /एव० पी० ए० 4/99/523 -- अंतिम प्रापुनिक सङ्गते तथा नियन्त्रित शैक्षणिक विभास नियन्त्रित व्यवस्था 1963 (1963 का अंतिम प्रतिनियम 41), जी ग्राम 5 ती डारा (4) द्वारा प्रदान की गई शैक्षणिकों का रपोर्ट करते हुए, हरियाणा के राज्यालय, इन ती डारा हरियाणा सरकार के राजाव्र, दिनांक 30 दिसंबर, 1936 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अविकृत संख्या 1344-10 डी० पी०-86/18258, दिनांक 18 दिसंबर, 1986, द्वारा माध्यमिक विद्यालय गांव मैयड, जिला हिसार, के इदं गिर्द घोषित नियंत्रित क्षेत्र के लिये उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले नियंत्रित क्षेत्र का लागू किये जाने के लिए प्रस्तावित अनुबन्ध के तथा वह में दिये गये नियन्त्रणों तथा शर्तों को विविरित करते हुए, निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना प्रकाशित करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात सरकार प्रारूप विकास योजना पर ऐसे आज्ञेयों व्यवस्था सुकार्तों सहित, यदि कोई ही तो, निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, सैकटर 18, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से ऐसी योजना के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाये, विचार करेगा।

ड्राइंग

(1) वर्तमान भूमि उपयोग विकास योजना ड्राइंग संख्या डी० टी० पी० (एच) 1809/87, दिनांक 2 मार्च, 1987।

(2) प्रारूप विकास योजना ड्राइंग संख्या डी० टी० पी० (एच) 3157/98, दिनांक 21 जनवरी, 1998।

अनुबन्ध क

नियंत्रित क्षेत्र, मैयड के लिए प्रारूप विकास योजना पर व्याख्यात्यक टिप्पणी

प्रस्तावना :

गांव मैयड, हिसार से देहली जाने वाली देहली-हिसार-सुलेमान की सड़क पर हिसार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के दोनों ओर विकसित 4000 की जनसंख्या वाला एक छोटा सा गांव है। यह गांव में इतने आंकार की बस्तियों के लिए वांछित लगभग सभी सुविधाएँ तथा सुख सुविधाएँ हैं।

नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता :

यह गांव नियंत्रित क्षेत्र हिसार और नियंत्रित क्षेत्र हांसी के लगभग बीच में स्थित है।

गांव के अन्दर तथा इदं गिर्द राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पिछले कई वर्षों से अनियंत्रित रहा है। इस खाली स्थान में परिणामस्वरूप इन नियंत्रित क्षेत्रों के भाग के भाग में आंदोगिक विकास के रूप में अनाधिकृत निर्माण होने आरम्भ हो गये। दिल्ली-हिसार-सुलमान की सड़क के साथ हो रहे अनियंत्रित विकास वृद्धि को मध्य नजर रखते हुए हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 1344-10 डी०पी० 86/18258, दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 द्वारा मिडिल स्कूल मैयड के इदं गिर्द नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया। मैयड के इदं गिर्द नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली-हिसार-सुलमान सड़क के साथ-साथ अवैध एवं कुनियोजित शहरीकरण की वृद्धि को रोकना एवं नियंत्रित करना था।

विकास की प्रस्तावनायें :

मिडिल स्कूल, मैयड के इदं गिर्द नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने का कारण अन्य शहरी वस्तियों के इदं गिर्द घोषित नियंत्रित क्षेत्रों से भिन्न था। इस गांव से होकर गुजरने वाली दिल्ली-हिसार-सुलमान सड़क के भाग की दोषपूर्ण स्थिति को मध्य नजर रखते हुए राजमार्ग के दोनों ओर 30 मीटर की हरित पट्टी के बिवाये सम्पूर्ण नियंत्रित क्षेत्र कृषि जोन के रूप में अलग रखा गया है।

विभिन्न भूमि उपयोगों के अधीन अलग रखे गये क्षेत्रों का विवरण निम्न सारणी दर्शाती है :—

तालिका

क्रम संख्या	कोड	भूमि उपयोग वर्ग	कुल क्षेत्र हेक्टेयर में
1	2	3	4
1	400	परिवहन एवं संचार	16.56
2	700	खुलौ स्थल	14.63
		जौड़	31.19

ये संचालित करने वाले उपयोग, मैयड नियंत्रित क्षेत्र के प्रारूप विकास प्लैन की ड्राइंग संख्या डी० पी० (एच) 3157/98 दिनांक 21 जनवरी, 1998, में दर्शाये गये हैं जो अनुबन्ध ख पर दिये गये मण्डलन विनियमों के साथ पढ़े जाने हैं।

मण्डलन विनियम :

ड्राइंग संख्या डी० पी० (एच)/3157/98, दिनांक 21 जनवरी 1998 में दर्शाये गये अनुसार मैयड नियंत्रित क्षेत्र में भूमि के संचालित उपयोग और विकास की व्यवस्था।

I सामान्य :

(i) मैयड के आसपास के नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना का भाग बनाने वाले इन मण्डलन विनियमों को मैयड नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना के मण्डलन विनियम कहा जायेगा।

(ii) इन विनियमों की अपेक्षाएँ विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगी और पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम नं० 41) के अधीन दर्ताये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायें:—

इन विनियमों म,—

- (क) “अनुमोदित” से अभिप्राय है, नियमों के अधीन अनुमोदित।
- (ख) “भवन नियमों” से अभिप्राय है, इन नियमों भाग-VII में निहित नियम।
- (ग) “ड्राइंग” से अभिप्राय है, ड्राइंग संख्या ३० टी० पी (एच)/3157/98, दिनांक 21 जनवरी, 1998।
- (घ) “फर्श क्षेत्र अनुपात” (फ० क्ष० अन०) से अभिप्राय है, किसी भवन की सभी मंजिलों के कुल फर्श और स्थल के कुल क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में दर्शाया गया अनुपात।
- (ण) “वर्ग आवास” से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फलैट के रूप में डिजाइन किये गये भवन या कोई अनुरंगी अथवा सम्बद्ध भवन, जिसमें सामुदायिक सुविधायें, सार्वजनिक सुविधायें उपयोग शामिल हैं, जो निवेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा द्वारा निर्धारित और अनुमोदित हों।
- (च) “हल्के उद्योग” से अभिप्राय है, ऐसे उद्योग जिनके कारण हानिकारक या आपत्तिजनक शोर, धूँगा, गैस, भाप या गत्थ, धूल, मल निःवाव और अत्याधिक डिग्री का कोई अन्य कंठटक हो और जो विजली द्वारा चालित हो।
- (छ) “स्थानीय सेवा उद्योग” से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके विनियमित माल तथा उत्पादन का प्रायः स्थानीय क्षेत्र के द्वीतीय ही उपयोग किया जाता है उदाहरणार्थ बैकरिंग, आईसीओ विनिर्माण, वातित जल, विजली से चलने वाली आटे की चक्कियां लाड़ी, ड्राइंकलीनिंग और रंगाई, स्वतः चालित गाड़ियाँ, स्टूटर तथा साईकलों की मुरम्मत तथा सर्विस, धरेलू बर्तनों की मुरम्मत, जूते बनाना और उनकी मुरम्मत इंधन डिपों आदि वश्तें कि उन द्वारा किसी ठोस इंधन का प्रयोग न किया जाता हो।
- (ज) “मध्यम उद्योग” से अभिप्राय है, हल्के उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के घलावा सभी उद्योग और जो हानिकारक या खतरनाक तथा दुर्गंध न फैलाते हों।
- (झ) “व्यापक उद्योग” से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों और जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये वश्तें कि वे किसी प्रकार से हानिकारक न हो।
- (ञ) “भारी उद्योग” से अभिप्राय है, सरकार की सन् मति से सरकारी या अर्बसरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (मशीनरी इत्यादि वी लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हों)।
- (ट) “हानिकारक या खतरनाक उद्योग” से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक दूजी लागी हो जिसमें अधिक धूँगा, शोर, स्पन्दन, दुर्गंध अप्रिय या हानिकारक मलनिःवाव विस्कोट, प्रज्ञवलनीय सामग्री आदि हो और समुदाय के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए अन्यथा खतरनाक तत्व शामिल हों।
- (ठ) “वास्तविक तिथि” से अभिप्राय है, नीचे उल्लेखित नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि

क्रमांक	नियंत्रित क्षेत्र का नाम और अधिसूचना संख्या	प्रकाशन तिथि
1	30 दिसम्बर, 1986 को प्रकाशित हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 1344-10 डी० पी०-86/18258 दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 द्वारा अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र	30 दिसम्बर, 1986

(३) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में “अनुमत उपयोग” से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए निर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के वितरित है।

(द) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन" से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल सप्लाई, जल निकास, बिजरी, डाक तथा तार एवं परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा।

(ए) "नियमावली" से अभिप्राय है, राजाव प्रामुखिक सड़कों तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध नियमावली, 1965

(ट) "सैक्टर सघनता और कालोनी सघनता" से अभिप्राय है, उस सैक्टर क्षेत्र तथा कालोनी क्षेत्र में जैसी भी स्थिति हो, प्रति एकड़ व्यक्तियों की संख्या।

(थ) सैक्टर क्षेत्र अथवा कालोनी क्षेत्र" से अभिप्राय है, सैक्टर के मामले में नवशे पर दिखाई गई मुख्य सड़क प्रणाली में परिवद्ध अनुसार।

व्याख्या

1. **पैक्टर क्षेत्र प्रोटोकॉल ऑफर रे मामले में कालोनी जिप्रूपोडिट अधिविधास योजना पर कालोनी का क्षेत्रफल** इसमें सैक्टर के चारों और मुख्य सड़कों के अन्तर्गत आने वाली 50 प्रतिशत भूमि शामिल है (और मुख्य) सड़क प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली भूमि तथा सैक्टर या कालोनी में, जैसी भी स्थिति हो, भवन-विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र शामिल नहीं है।

2. "सैक्टर सघनता" या "कालोनी सघनता" की गणना के प्रयोजनार्थ यह परिकल्पित होगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी का 55 प्रतिशत रिहायशी प्लाटों के लिए छपलब्ध हो, जिसमें वर्ग आवास के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र शामिल होगा और प्रत्येक भवन प्लाट में औसतन तीन आवास यूनिट होंगे अथवा प्रत्येक यूनिट में 4.5 व्यक्ति की प्रत्येक भवन प्लाट में 13.5 व्यक्ति रह जायेंगे अथवा कालोनी/ग्रुप आवास काम्पलैंस की अंचल योजना में विनियमित अनुसार। तथापि दुकान एवं रिहायशी प्लाट के मामले में केवल एक आवासीय यूनिट की परिकल्पना की जायेगी।

(द) "स्थल व्याप्ति" से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र के बीच की प्रतिशतता द्वारा दर्शाया गया अनुपात।

(ध) अधिनियम, "कालोनी, "उप-निवेशक" "विकास योजना" सैक्टर और सैक्टर योजना" शब्दों का वही अर्थ होगा जो प्राजाव अनुसूचित सड़कों तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियंत्रित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 और नियमावली 1965 में उनको दिया गया है।

(प) "फार्म गृह" का अभिप्राय है, फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर नियंत्रित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है :—

1. निवास यूनिट अर्थात् मुख्य उपयोग।

तथा

2. फार्म छायाबान अर्थात् गोण उपयोग।

टिप्पणी :—

1. फार्म गृह का निर्माण "ग्रामीण/झुपि अंचल में आवादी से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था" संबंधी खंड के अन्तर्गत दिये गये प्रतिबन्धों द्वारा शामिल होगा।

2. फार्म शेड, भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों संबंधी खंड में उल्लेखित प्रतिबन्धों द्वारा शामिल होंगे।

(ब) "टांड की पुष्टवान" स्वयं कमरे के अन्दर खम्भे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आवृत एक खाने जैसा उभार, परन्तु जिसका उभार एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो।

(भ) "अटारी" सामान्य कर्षण से ऊपर अधिकतम 1.5 मीटर वी ऊचाई ढलुवा छत में शेष बचे स्थान पर मध्यवर्ती कर्षण, जो भंडारण हेतु निर्मित करवाई जाती है अथवा अपना ली जाती है।

(म) "परछती तल" उस तल के क्षेत्रफल का 1/3 तक सीमित परछती का क्षेत्रफल होता है तथा न्यूनतम भूमि की सतह से ऊपर 2.2 मीटर ऊचाई पर एक मध्यवर्ती तल होता है।

- (प) "कृषि के लिए उपयोगी" से अभिप्राय है ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो नलहूप, पम्प-चैम्बर, पवन चक्कियों सिचाई नालों, पक्को पलैंट फार्म, बाड़ लगाने और चारदीवारी, जल-नल आदि जैसे कृषि संवंधी कार्यों को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है।
- (र) "ग्रामीण उद्योग स्कीम" से अभिप्राय है, ऐसा औद्योगिक यूनिट जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया हो।
- (ल) "लघु उद्योग" से अभिप्राय है ऐसा औद्योगिक यूनिट जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो।
- (व) "कृषि अधारित उद्योग" से अभिप्राय है ऐसा औद्योगिक यूनिट जो खाद्यान, फब्रों या कृषि वेस्ट का उपयोग करने वाले लोग में करता है।

अन्य शब्दों का भी वही अर्थ होता जो पंजाब अमूल्यित सङ्गठन द्वारा निर्णयित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिवन्ध अधिनियम, 1963 में है।

(III) मुख्य भूमि उपयोग/जोन :

1. परिवहन और संचार अंचल ।
2. मुख्य खुले स्थान ।
3. कृषि अंचल ।

मुख्य भूमि का वर्गीकरण परिशिष्ट "क" अनुसार है।

(IV) मुख्य उपयोगों में विस्तृत भूमि उपयोग :—

मुख्य, सहायक एवं गौण उपयोग जो इन विनियम/नियमों की अन्य श्रोक्षाओं के अधीन जिन के संबंध में मुख्य भूमि उपयोग जोन में अनुमति दी जानी है, इन विनियमों से संलग्न अनुधार्ध "ख" पर दी गई है।

(V) औद्योगिक से भिन्न उपयोग :

विकास योजना में औद्योगिक जोन से भिन्न जोन में दिखाये गये वर्तमान उपयोगों के संबंध में, निदेशक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए उद्योग भिन्न उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु यह अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी परन्तु यदि संबंधित उद्योग स्वामी :—

- (क) निदेशक को स्थल के बाहरी विकास के लिए यथानुपात प्रभार उनके द्वारा यथानिर्धारित अनुसार दे, जब भी निदेशक द्वारा इस संबंध में ऐसा करने के लिए कहा जाये, कि भुगतान करने का जिम्मा लेता है; और
- (ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार मल निकास के लिए संतोषजनक व्यवस्था करें;
- (ग) भिन्न उपयोग के क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार के विस्तार के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

(VI). भिन्न उपयोग बन्द करना :

1. यदि किसी भूमि का भिन्न उपयोग तो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि को पुनः प्रयोग या पुनः विकास की अनुमति दी जायेगी।

2. यदि कोई भिन्न उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लडाई, दंगा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनः निर्माण मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनः विकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

3. खंड V के अन्तर्गत नियत अवधि के समाप्त होने के बाद, भूमि को पुनर्विकास अथवा केवल अनुमत उपयोग के लिए अनुमति दी जायेगी।

(VII) भवनों की अगाली ओर, और पिछली ओर भवन पंक्ति :

यह पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिवन्ध अधिनियम, 1965 के नियम संख्या 51, 52 तथा 53 में उपबन्धित अनुसार होगी।

(VIII) वास्तुकला संबन्धी नियंत्रण :

प्रत्येक भवन पंजाब अनुसूचित सड़कों एवं नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास नियमावली, 1965, यदि लागू राती हो, के नियम संख्या 50 के अन्तर्गत बनाये वास्तुकला संबन्धी नियंत्रण के अनुहप होगा।

(IX) कृषि जोन में भूमि उपयोग में ढील :

कृषि जोन में पड़ी किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है :—

(क) भूमि के आवासी अथवा औद्योगिक में उपनिवेशन में उपयोग एवं विकास के लिए शर्त है कि उपां केशक ने यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग एवं विकास के लिए खरीदी हो और उपनिवेशन के नियमानुसार इस कार्य के लिए अनुमति प्राप्त की हो।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग के लिए (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) शर्त होगी, परन्तु :—

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि खरीदी गई थी।

(ii) सरकार को इस बात से संतुष्टी हो गई है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार वही है कि उपयोग के जोन में वैकल्पिक आवंटन की प्रतीक्षा नहीं बीं जा सकती।

(iii) भूस्वामी नियमों के अन्तर्गत अथवा अपेक्षित भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(iv) भूस्वामी निदेशक को उसके यथा निर्धारित अनुपात प्रभार इस संबंध में निदेशक द्वारा मांग की जाये, भुगतान करने का जिम्मा लेता है और अंतरिम अवधि में मल निकास की संतोषजनक व्यवस्था रखता है।

व्याख्याएँ :

इस विनियम में शब्द क्रय (खरीद) का अभिप्राय पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करना है। स्वामित्व अर्थात् रों से कह म जैसा कि खरीद हेतु इकरारनामा इत्यादि को स्वामित्व अधिकार नहीं माना जायेगा।

(X) कृषिजोन/ग्रामीण जोन में आवादी देह के बाहर कार्म हाऊस व्ही व्यावस्था :

ग्रामीण जोन में आवादी देह के बाहर कार्म हाऊस की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जा सकती है यदि भूमि का क्षेत्र दो एकड़ या उससे अधिक हो :—

कार्म हाऊस का आकार	आवासी यूनिट के भूतल पर निर्मित क्षेत्र (मुख्य भवन)	कार्म छायाचान के लिए तल पर अधिकार में निर्मित क्षेत्र (अनुषंगी भवन)
निर्मित स्थल 2 एकड़	100 वर्ग मीटर	कार्म की भूमि का एक प्रतिशत (मानदूरों तीकरों) के क्वाटरों के लिए 40 प्रति वर्ग से अधिक भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
प्रत्येक अतिरिक्त 0.25 एकड़ भूमि के लिए मुख्य भवन के लिए 10 वर्गमीटर परन्तु अधिकतम 200 वर्गमीटर।	अधिकतम ऊंचाई	

ऊंचाई तथा मंजिल

मुख्य निवास यूनिट

अनुषंगी भवन

6 मीटर एक मंजिल

4 मीटर

एक मंजिल

(III) दूरी :

यह कृषि भूमि के सभी ओर से किनारों से कम से कम 15 मीटर दूर होगा परन्तु यदि फार्म हाऊस से सम्बन्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से निम्नलिखित न्यूनतम दूरी पर किया जायेगा :—

(क) जहां सड़क अनुसूचित सड़क से बाईपास है	100 मीटर
(ख) जहां सड़क कोई अनुसूचित सड़क है	30 मीटर
(ग) कोई अन्य सड़क	15 मीटर

(IV) पहुंच सड़क :

- (क) फार्म की पहुंच सड़क कम से कम 13.5 मीटर (45 फूट) चौड़ी होगी।
- (ख) यदि पहुंच सड़क एक से अधिक फार्मों के लिये हो तो कम से कम 18.30 मीटर (60 फूट) चौड़ी होनी चाहिये।

(V) वैसमैट :

अधिकतम भूतल क्षेत्र सीमा तक वैसमैट के लिये अनुमति दी जायेगी परन्तु वैसमैट में शौचालय और स्नानघर बनाने की अनुमति नहीं होगी।

(VI) रैंज, लाफट और मेजानाईन फर्श :

लैंज, लाफट और मेजानाईन फर्श की अनुमति भवन के भीतर उपरोक्त प्रतिबन्धों और भाग-II में दी गई परिभाषा में दिए गए प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दी जायेगी।

(VII) सेवायें :

जल प्रापूर्ति एवं जल निकास।

- (क) यदि फार्म हाऊस का निर्माण किया जाता है तो फार्म में मनुष्य के उपयोग के लिये पर्याप्त जल प्रापूर्ति उपलब्ध होनी चाहिये।
- (ख) सभी भवनों के मामले में वर्षा के पानी के निकास के लिये खुली मल निकास नालियों अथवा ढकी हुई नालियों की व्यवस्था की जाये।
- (ग) नियंत्रित क्षेत्र नियमावली 1965 के उपबन्धों के अनुसार मनुष्य और पशुओं के मल निपटान के लिये मलाशय की व्यवस्था की जाये।
- (घ) मलाशय तथा खुले कुएं अथवा नलहूप के बीच दूरी नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगी।

परन्तु सरकार ग्रामीण जोन के उचित उपयोग करने के लिये राज्य सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा प्रवर्तित किसी स्कीम हिलि फार्म के न्यूनतम आकार में संशोधन कर सकती है।

(VIII) विकास योजना में ढील :

सरकार किंवा प्रकर हो कर्टाइ प्रमाण वालिह लिये ते र्हि निर्मा हिलि संवाद हो बातें के विवार से, विहि प्रभारों के भुगतान करने और अन्य ऐसी शर्तें पर जो विकास योजना के उपबन्धों में वह लगाना उचित समझें, न्याय और बरावरी के सिद्धांत पर ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

मुख्य कोड

उपकोड

मुख्य वर्ग

उपवर्ग

400

परिवहन तथा संचार

410

रेलवे घाँड़, रेलवे स्टेशन तथा साईंडिंग

420

सड़क, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र।

430

घाँड़, जल्ती।

440

हवाई अड्डा/हवाई स्टेशन।

450

तार कार्यालय, टेलीफोन।

460

प्रसारण केन्द्र।

470

दूरदर्शन केन्द्र।

700

खुले स्थान

710

खैलूद, मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान।

720

पार्क।

730

अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग।

740

शमशान आट आदि।

750

पेट्रोल पम्प तथा बस की लाइनों के लिये स्थान।

800

कृषि भूमि

810

मार्किट घाँड़।

820

फलोद्यान तथा नर्सरियां।

830

स्टेपल फसल के अन्तर्गत भूमि।

840

चराई भूमि तथा चरागाहे।

850

वन भूमि।

860

दलदल भूमि।

870

बंजर भूमि।

880

जल भूमि।

900

अनन्त मत उपयोग।

परिशिष्ट ख

I. परिवहन तथा संचार जोन :

1. रेलवे यांड, रेलवे स्टेशन और साईंडिंग
 2. परिवहन, नगर सड़कों और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र
 3. मालगाड़ी भाड़ा डिपो
 4. हवाई अड्डा और हवाई स्टेशन
 5. तारघर और टैलीकोन कार्यालय
 6. दूरदर्शन केन्द्र
 7. प्रसारण केन्द्र
 8. अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नसंरियां
 9. पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज
 10. पार्किंग स्थान, बस स्टाप/शैल्टर, टैक्सी टांगा और रिक्शा स्टैंड
- } संकटर योजना में निर्धारित स्थलों पर ।

II. खुले स्थान :

1. पांक तथा हरित पट्टी
2. निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ-2 पैट्रोल पम्प, बस लाईन शैल्टर
3. निदेशक की अनुमति से कोई अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग

} निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अनुमोदित स्थलों पर

III. विल्कुल निषिद्ध उपयोग :

उचित लाईसैंस के बिना पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण

IV. कृषि जोन :

1. कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन
2. आबादी देह में गांव घर
3. जोर्निंग विनियम 19 में निर्धारित प्रतिबन्धों के अनुसार आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस
4. बन रोपण विकास अथवा मनोरंजन के लिये उसका कोई भाग ।
5. आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि वह परियोजना केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अथवा प्रायोजित है
6. दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण संयंत्र
7. बस अड्डा रेलवे स्टेशन

8. बैतार कन्द्र

9. अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्डा

10. निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भण्डारण स्थल

11. मौसम कार्यालय

12. भू-निकास और सिचाई, पन विजली और सिचाई के लिये नलकूप

13. टैलीफोन और विजली परिषग लाईनें और खम्भे नियमों के अनुसार और अनुमोदित स्थलों पर

14. खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना और इंटों के भट्ठे क्योरिज और क्रैशिंग ज्ञामिल हैं

15. शमशान और कब्रिस्तान

16. पेट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज

17. पन विजली/धर्मल विजली संवंत्र/उरहेन्द्र

18. निदेशक के अनुमोदन से एल० पी० जी० भण्डारण गोदाम

19. (क) आर० आई० एस०/एस० एस० आई० यूनिटों के रूप में पंजीकृत प्रदूषण रहित उद्योग बशर्ते कि वे निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करें :—

(1) वर्तमान गांव आवादी के आसपास की पट्टी के आधे कि० मी० में स्थित हो और अनुसूचित सड़ों, राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से भिन्न किसी सार्वजनिक सड़क/रास्ते द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है

(2) सार्वजनिक सड़क/रास्ते पर जो कम 30 फुट चौड़े हों, अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से भिन्न उक्त (1) में उल्लेखित आधा कि० मी० के जौन से बाहर पहुंच सड़क के साथ-2 100 मीटर अन्दर की ओर

(ख) प्रदूषण रहित भव्यम और बड़े ऐमाने के क्षुषि आधारित उद्योग अनुसूचित सड़कों राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से भिन्न, कम से कम 30 फुट चौड़ी सार्वजनिक सड़कों/राजस्व रास्तों पर :

(ग) यह स्थल रक्षा स्थापनाओं के चारों ओर की 900 मीटर प्रतिबन्धित पट्टी में नहीं आना चाहिये।

(20) कोई अन्य उपयोग, जिस के लिये सरकार लोकहित में निर्णय ले सकती है

निदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, द्वारा
अनुमोदित अनुसार

अर्जीत एम. शरन,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।